



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235251
CG-DL-E-20042022-235251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1788]
No. 1788]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

का.आ. 1878(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और ऐल्युमिनियम का विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाओं को, जो क्रमशः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 30 और 31 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंततः भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4238(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2021 द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2021 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों की सेवाओं को तारीख 16 अप्रैल, 2022 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा.सं. एस.-11017/2/2011-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2022

S.O. 1878(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industries engaged in manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), be declared to be a public utility services for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 16th October, 2021 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4238(E), dated the 12th October, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industries for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 16th April, 2022.

[F. No. S-11017/2/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.